



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क. ३१५ / अका./शोध/मेकेनिकल इंजी./2023

बिलासपुर, दिनांक १६ OCT २०२३

प्रति,

Shubhra Vishwas, (शोधार्थी)

मेकेनिकल इंजीनियरींग विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

विषयः— यू.जी.सी. (एम.फिल./ पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएचडी० उपाधि के लिए पंजीयन !

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक दिनांक 03-08-2023 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) मेकेनिकल इंजी० विद्यापीठ— अभिगांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में आपका पंजीयन संक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-


शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
"Influence of Particle Size and Morphology of Filler Material on the Machinability of Carbon and Glass Epoxy Composite "	डॉ० पंकज कुमार गुप्ता, सह—प्राच्यापक, मेकेनिकल इंजीनियरींग विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)		
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक		
मेकेनिकल इंजीनियरींग विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)	225192502	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
	03-08-2023	GGV/19/1275	

- आप यू.जी.सी. (एम.फिल./ पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लेखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छात्राही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशासित एवं DRC/Dean के संस्तुति/अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि गिरंतर दो सेमेरटर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध—पंजीयन स्वयमेव गिरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक नाह पूर्व छः प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समर्पी) शोध निर्देशक के गाध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क्रमांक 1

2. यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छः वर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छः वर्ष उपरान्त रद्द हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के नियमन R-10 के अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण /प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी वरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम -2018 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के प्रावधानों का भी भली-भांति अध्ययन कर लेवें।

आदेशानुसार


सहा. कुलसचिव (अका.)

क्रमांक ३१४ /अका०/शोध/मेकेनिकल इंजी. /2023

बिलासपुर, दिनांक १६-०८-२०२३

प्रतिलिपि:-

विश्वविद्यालय

1. शोध निर्देशक— डॉ० पंकज कुमार गुप्ता सह- प्राध्यापक, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ०ग०) को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश /विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष / शोध केन्द्र— मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. समन्वयक, आईटी सेल, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती।


सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरु धासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)